	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	अग्रहायण 27, बुधवार, *शाके* 1941–दिसम्बर 18, 2019 *Agrahayana 27, Wednesday, Saka 1941–December 18, 2019*	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिये टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान राज्य विध्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

कार्यालय मुख्या अभियंता (प्र. व. नि.) राजस्थान राज्य विध्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर

अधिसूचना

जोधपुर, अक्टूबर 22, 2019

संख्या 2066 :-ऊर्जा विभाग, सरकार द्वारा जारी दिनांक 03.10.17 की अधिसूचना के अनुपालन में। राजस्थान के जयपुर, जो राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, दिनांक 09.10.17 सेक. के तहत। विद्युत अधिनियम -2003 की 164 के साथ-साथ भारतीय टेलीग्राफी अधिनियम, 1885 (1885 का केंद्रीय अधिनियम 13) के प्रावधानों के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण की शक्तियां, राजस्थान मुख्य अभियंता, प्रसार निगम लिमिटेड के जोधपुर के मुख्य अभियंता (टी एंड सी) को दी गई हैं। । (राज्य पारेषण उपयोगिता) बिजली के संचरण के लिए बिजली के लाइनों / बिजली के संयंत्रों के निर्माण के लिए या काम के उचित समन्वय के लिए आवश्यक टेलीफोनिक या टेलीग्राफिक संचार के उद्देश्य से। अत: उपरोक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधोहस्ताक्षरी ने **132 के.वी डी/सी** ट्रांसमिशन लाइन **132 के.वी जी.एस.एस रानी से रेलवे टी.एस.एस खीमेल** के निर्माण के अधिकार के अनुमोदन को मंजूरी दे दी है। बिजली की आपूर्ति के लिए। उक्त रेखा निम्नलिखित गांवों के सीमा / राजस्व क्षेत्र के भीतर से गुजरेगी: -

क्रमांक	गावों के नाम	क्रमांक	गावों के नाम
1	रानीरेलवेस्टेशन	10	फालनागांव
2	रानीखुर्द	11	धणी
3	रानीकलां	12	मोकमपुरा
4	पादरलीसिंधलान		
5	दुदवर		
6	वेनपुरा		
7	खीमेल		
8	खीमेलरेलवेस्टेशन		
9	देवतरा		

ज़िला कलेक्टर **पाली:- श्री दिनेश चंद जैन**

बी. पी. चौहान,

मुख्य अभियंता (प्र. व. नि.),

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जोधपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।